अविप्रा **अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर**

क्रमांकः अ.वि.प्रा. / प.3 / ~~नियोजन~~ 12 नियमन शाखा / 2023 / F-1538/3629 दिनांकः 08-06-2023

मैसर्स आर.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर
जरिए पार्टनर श्री राजीव मालू पुत्र श्री सत्यनारायण मालू एवं
एवं श्री सुनील भाटी पुत्र श्री मोहन लाल भाटी
कार्यालय अराध्या 308 बी, चुंगी चौकी, शास्त्री नगर मुख्य मार्ग,
अजमेर।

विषयः— राजस्व ग्राम लोहागल के खसरा संख्या 178 / 1647, 178 / 1893, 182, 189 / 1646, 1958 / 178, 1960 / 181, 1962 / 188, 1964 / 189 क्षेत्रफल 10950.00 वर्गमीटर भूमि का आवासीय योजना के तहत ले—आउट प्लान स्वीकृति बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा राजस्व ग्राम लोहागल के खसरा संख्या 178 / 1647, 178 / 1893, 182, 189 / 1646, 1958 / 178, 1960 / 181, 1962 / 188, 1964 / 189 क्षेत्रफल 10950.00 वर्गमीटर भूमि हेतु प्रस्तुत आवासीय योजना मानचित्र को भवन मानचित्र समिति (ले—आउट प्लान) की 01 / 2023 वीं बैठक दिनांक 07.02.2023 में प्रस्ताव संख्या 11 द्वारा अनुमोदित किया गया है। उपरोक्त ले—आउट के क्रियान्वयन हेतु निम्न शर्तों की पूर्ण पालना किया जाना अनिवार्य होगा :—

1. आवेदित भूमि का क्रियान्वयन, स्वीकृत योजना मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा एवं टाउनशिप पॉलिसी—2010 के समस्त प्रावधानो की सुनिश्चित्त् आवेदक द्वारा सम्पूर्ण रूप से किया जाना अनिवार्य होगा।
2. योजना के भूखण्डों पर सैटबैक व अन्य मानदण्ड भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन के प्रावधानानुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।
3. योजना में सृजित भूखण्डों का पट्टा विलेख हेतु आवेदन से पूर्व समस्त बकाया राशि (यदि कोई देय हो) प्राधिकरण कोष में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
4. टाउनशिप पॉलिसी—2010 के प्रावधान अनुसार कुल विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 12.5 प्रतिशत भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु पट्टो के आवेदन से पूर्व शपथ पत्र मय भूखण्डों की सूची कार्यलय में प्रेषित की जानी होगी।
5. योजना मानचित्र में केवल तकनीकी अनुमोदन दिया जा रहा है, जिसे स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज नहीं माने जावे।
6. प्रस्तावित भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा कोई ग़लत कथन अथवा सारवान तथ्य छुपाया जाना सिद्ध पाया जाये तो उक्त स्थिति में यह स्वीकृति स्वतः ही निष्प्रभावी मानी जावेगी।

स्वीकृत ले—आउट प्लान की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

क्रमांक : अविप्रा. / प.3 / ~~नियोजन~~ 12 नियमन शाखा / 2023 / 3630—31 **दिनांक :** 08-06-2023
प्रतिलिपिः—

1. उपायुक्त (उत्तर,) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
2. रक्षित पत्रावली के साथ ले—आउट प्लान की एक प्रति संलग्न कर ड्राईंग रिकॉर्ड में संधारण हेतु।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

F:\E\Deepak devnani\All Letters\letter..docx

LAYOUT-PLAN
SCALE: 1"=60'

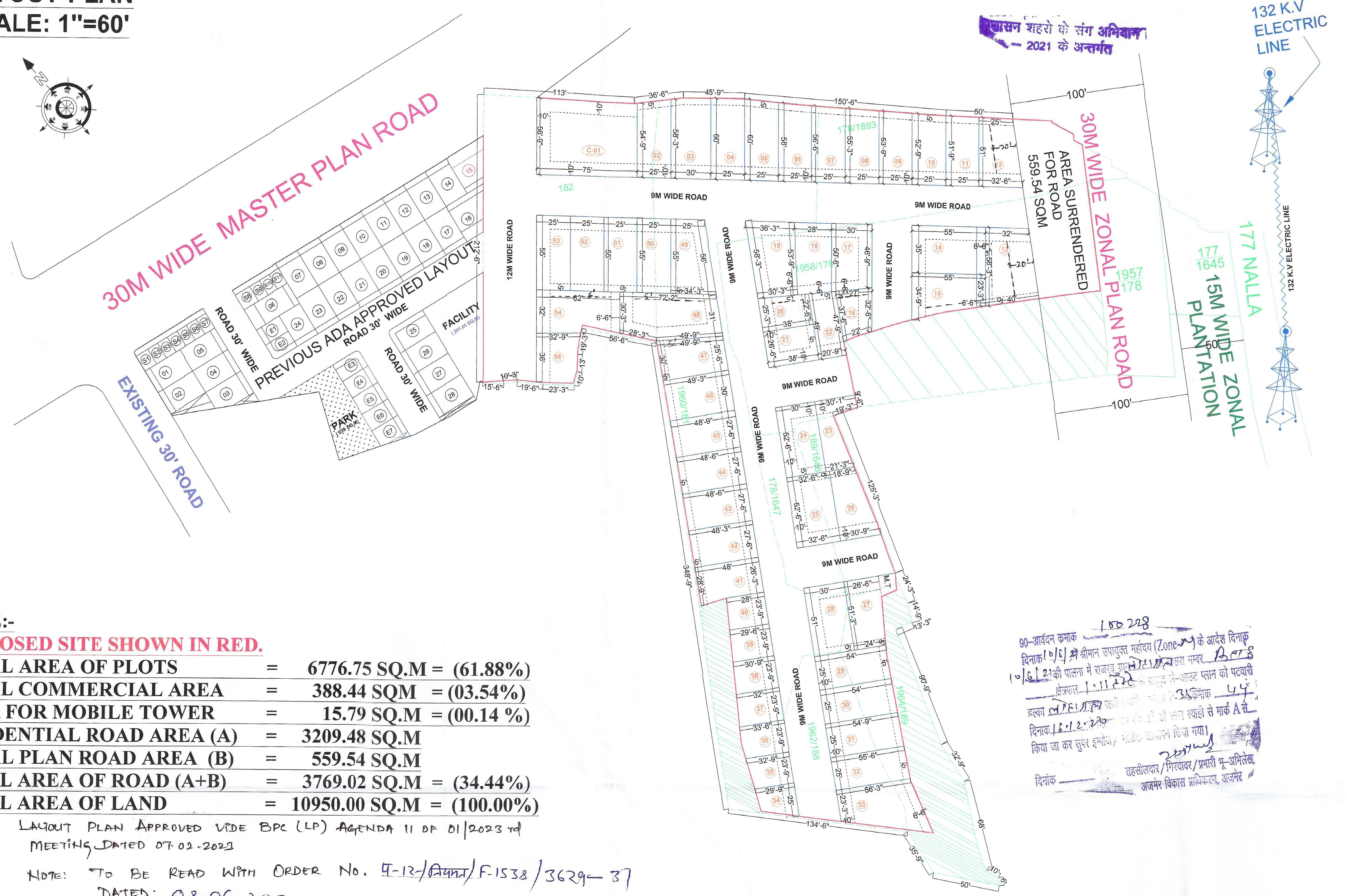

PLOT NO.	PLOT AREA	PLOT NO.	PLOT AREA
C-01	388.44 SQ. M	34	55.74 SQ. M
02	131.22 SQ. M	35	68.95 SQ. M
03	164.78 SQ. M	36	63.08 SQ. M
04	139.35 SQ. M	37	72.26 SQ. M
05	137.03 SQ. M	38	69.22 SQ. M
06	132.96 SQ. M	39	66.46 SQ. M
07	129.77 SQ. M	40	63.43 SQ. M
08	126.57 SQ. M	41	122.63 SQ. M
09	123.67 SQ. M	42	122.95 SQ. M
10	121.35SQ. M	43	123.58 SQ. M
11	113.84 SQ. M	44	123.90 SQ. M
12	136.21 SQ. M	45	124.22 SQ. M
13	194.81 SQ. M	46	136.56 SQ. M
14	178.83 SQ. M	47	127.04 SQ. M
15	148.17 SQ. M	48	228.84 SQ. M
16	77.89 SQ. M	49	151.42 SQ. M
17	135.52 SQ. M	50	127.74 SQ. M
18	135.59 SQ. M	51	127.74 SQ. M
19	171.72 SQ. M	52	127.74 SQ. M
20	84.28 SQ. M	53	127.74 SQ. M
21	93.55 SQ. M	54	171.79 SQ. M
22	93.25 SQ. M	55	103.73 SQ. M
23	94.62 SQ. M		
24	146.32 SQ. M		
25	158.51 SQ. M		
26	120.71 SQ. M		
27	120.22 SQ. M		
28	142.48 SQ. M	MOBILE TOWER	
29	125.41 SQ. M	15.79 SQ. M	
30	126.28 SQ. M		
31	128.03 SQ. M		
32	155.20 SQ. M		
33	181.85 SQ. M		

NOTE:-

PROPOSED SITE SHOWN IN RED.

TOTAL AREA OF PLOTS	=	6776.75 SQ.M	= (61.88%)
TOTAL COMMERCIAL AREA	=	388.44 SQM	= (03.54%)
AREA FOR MOBILE TOWER	=	15.79 SQ.M	= (00.14 %)
RESIDENTIAL ROAD AREA (A)	=	3209.48 SQ.M	
ZONAL PLAN ROAD AREA (B)	=	559.54 SQ.M	
TOTAL AREA OF ROAD (A+B)	=	3769.02 SQ.M	= (34.44%)
TOTAL AREA OF LAND	=	10950.00 SQ.M	= (100.00%)

NOTE: LAYOUT PLAN APPROVED VIDE BPC (LP) AGENDA 11 OF 01/2023 rd MEETING DATED 07.02.2023

NOTE: TO BE READ WITH ORDER NO. प-12-/नियमन/ F-1538/3629-37 DATED: 08-06-2023

शहरों के संग अभियान – 2021 के अन्तर्गत

For R.S. INFRASTRUCTURE PARTNER

SHRI VIJAY ARCHITECTURAL WORKS REGD. LICENCE HOLDER Near A.D.A. Todarmal Marg, Ajmer M: 9828054544

सहायक नगर नियोजक अ.वि.प्रा., अजमेर

निदेशक आयोजना अ.वि.प्रा. अजमेर

हरिराम कुमार आदित्य उपायुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

APPLICANT	ARCHITECT	PATWARI/TEHSILDAR	JR. ENGINEER	D/MAN	A.T.P	DIR. PLANNING	DY. COMMISSIONER

LAY-OUT PLAN SHOWING LAND OF KH. NO.182, 1960/181, 178/4893, 1958/178, 178/4647, 189/1646, 1964/189, 1962/188, AT REV. VILL.-LOHAGAL, AJMER FOR RESIDENTIAL HOUSING SCHEME. BELONGS TO :- FIRM RS INFRASTRUCTURE PARTNERS RAJEEV MALOO & SUNIL BHATI

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL

राजस्थान RAJASTHAN

शपथ पत्र

BK 145673

फर्म आर. एस. इंफ्रास्ट्रचर ऑफिस न. 308 B, आराध्या, चुंगी चौकी,शास्त्री नगर, अजमेर , जरिये भागीदार श्री राजीव मालू पुत्र स्व. श्री सत्यनारायण मालू उम्र - 50 वर्ष ,निवासी - 1/432 , मालू सदन , कृष्ण गंज रोड अजमेर व् सुनील भाटी पुत्र स्व. श्री मोहन लाल भाटी उम्र - 44 वर्ष निवासी - आराध्या , चुंगी चौकी , शास्त्री नगर, अजमेर, शपथपूर्वक बयान करते हैं कि –

1. यह कि निम्नांकित भूमि जोकि वाके ग्राम लोहागल के खसरा स. 182, 1960/181, 178/1893, 1958/178, 178/1647, 189/1646, 1964/189, 1962/188 को हमारे द्वारा गैर कृषिक प्रयोजनार्थ अजमेर विकास प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किया गया था जिस सन्दर्भ में प्राधिकरण द्वारा भूमि की दिनांक 10.06.2021 को 90-A की जाकर अजमेर विकास प्राधिकरण की ले-आउट समिति की बैठक में पास किया गया था |
2. यह कि उक्त योजना में आंतरिक विकास के संदर्भ में अप्रोच रोड, Electric Connection work, वाटर एवं सीवरेज का कार्य हमारे द्वारा करवाया जायेगा अत: आंतरिक विकास शुल्क की राशि प्राधिकरण द्वारा नही ली जाए | उपरोक्त के सन्दर्भ में हमारे द्वारा आंतरिक विकास हेतु अमानत राशि के रूप में 12.5% भूमि भूखंड अजमेर विकास प्राधिकरण के पक्ष में रहन रखें जाने जाने वाले भूखंडों की सूची आगे वर्णित हैं |

FOR R.S. INFRASTRUCTURE

Partner

ATTESTED
03/3/22
BABITA TAK
NOTARY PUBLIC, AJMER

FOR R.S. INFRASTRUCTURE

PARTNER

क्रम.स. 8543 दिनांक 09.11.2022 रू100

नाम आर.एस.इन्फ्रास्ट्रक्चर

पिता / पति............................निवासी अजमेर

हस्ते विजय वास्ते शपथ पत्र

क्रेता हस्ताक्षर विक्रेता हस्ताक्षर

राजेश कुमार शर्मा
स्टाम्प विक्रेता
ला.नं. 05/2015
सिविल कोर्ट, अजमेर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार
1.आधारभूत अवंसरचना सुविधाओं हेतू (धारा 3—क)—10% रूपये 10
2— गाय और उसकी नस्ल के सरक्षण और संवर्ध (धारा 3—ख) प्राकृतिक आपदाओ एव मानव निर्मित आपदाओंके निवारण हेतु— 20% रूपये 20
कुल योग 30 हस्ताक्षर स्टाम्प वेन्डर

3. अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित लेआउट के अनुसार विकसित भूखंडों का क्षेत्रफल 7165.19 वर्ग मीटर हैं जिसका 12.5% एरिया 957.70 वर्ग मीटर होता हैं अतः 957.70 वर्ग मीटर रहन रखे जाने हेतु :

भूखंड स. 26 क्षेत्रफल 120.71 वर्ग मीटर
भुखंड स. 27क्षेत्रफल 120.22 वर्ग मीटर
भूखंड स. 29 क्षेत्रफल 125.41 वर्ग मीटर
भूखंड स. 30 क्षेत्रफल 126.28 वर्ग मीटर
भूखंड स. 31क्षेत्रफल 128.03 वर्ग मीटर
भूखंड स. 32 क्षेत्रफल 155.20 वर्ग मीटर
भूखंड स. 33 क्षेत्रफल 181.85 वर्ग मीटर

कुल 957.70 **वर्ग मीटर** के 7 भूखंड रहन रखे जा रहे हैं जिन्हे आंतरिक विकास होने के पश्चात हमे रहन मुक्त कर दिए जायें |

दिनांक –

NOTARY
BABITA TAK
ADVOCATE
GOVT. OF INDIA

शपथकर्ता

FOR R.S. INFRASTRUCTURE
PARTNER

FOR R.S. INFRASTRUCTURE
PARTNER

राजीव मालू सुनील भाटी
आर.एस.इंफ्रास्ट्रक्चर

भागीदार

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथकर्ता सत्यापित करतें हैं कि ऊपर दिए गये पैरा स. 1, 2, 3 हमारे निजी ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सही व सत्य हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नही गया हैं |

दिनांक – --------------------

FOR R.S. INFRASTRUCTURE
PARTNER

शपथकर्ता

FOR R.S. INFRASTRUCTURE

ATTESTED
03/3/23
BABITA TAK
NOTARY PUBLIC, AJMER

राजीव मालू सुनील भाटी
आर.एस.इंफ्रास्ट्रक्चर
भागीदार